न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, बिजौलियॉं, जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या :- २००/२५ तारीख दायर २६/११/२५

1- कल्याण पुत्र रामा जाति मेघवाल उम्र वयस्क निवासी उन्द्रो का खेड़ा तहसील बिजौलियॉं जिला भीलवाड़ा (राज0)

2- बदाम देवी पत्नि कल्याण जाति मेघवाल उम्र वयस्क निवासी उन्द्रो का खेड़ा तहसील बिजौलियॉं जिला भीलवाड़ा (राज0)

--प्रार्थीगण

बनाम

1- देवी पुत्र रामा जाति मेघवाल उम्र वयस्क निवासी उन्द्रो का खेड़ा तहसील बिजौलियॉं जिला भीलवाड़ा (राज0)

2- भंवरी पत्नि गणेश जाति मेघवाल उम्र वयस्क निवासी उन्द्रो का खेड़ा तहसील बिजौलियॉं जिला भीलवाड़ा (राज0)

3- गोपाल पुत्र जयराम जाति मेघवाल उम्र वयस्क निवासी उन्द्रो का खेड़ा तहसील बिजौलियॉं जिला भीलवाड़ा (राज0)

4- छीतर पुत्र भुवाना जाति मेघवाल उम्र वयस्क निवासी उन्द्रो का खेड़ा तहसील बिजौलियॉं जिला भीलवाड़ा (राज0)

--विपक्षीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0ले0रे0 एक्ट

-: आदेश :-

दिनांक :-

प्रार्थनापत्र **प्रार्थीगण कल्याण, बदाम देवी** ने जरिये अभिभाषक **घनश्यामलाल धाकड़** प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि मेरे एकल/संयुक्त खाते कि भुमि **मौजा ग्राम उन्द्रो का खेड़ा पटवार क्षैत्र माल का खेड़ा भु–अभिलेख निरिक्षक क्षैत्र बिजौलियॉं कलां तहसील बिजौलियॉं में स्थित खाता संख्या 324 आराजी नंबर 713/173, 715/174 कुल किता 02 रकबा 1.3365 हैक्टेयर भुमि** स्थित हैं। विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगड़ा फसाद करते हैं। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ में प्रार्थनापत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न हैं।

प्रार्थना पत्र रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत **2076–2079** के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजियात का खातेदार/गेर खातेदार काश्तकार हैं। पडोसियान के विवाद करने बाबत शपथपत्र संलग्न हैं। पत्थरगढी से किसी के स्वात्व पर कोई विपरीत प्रभाव नही पडता हैं।

अतः प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड़ रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया **मौजा ग्राम उन्द्रो का खेड़ा पटवार क्षैत्र माल का खेड़ा भु–अभिलेख निरिक्षक क्षैत्र बिजौलियॉं कलां तहसील बिजौलियॉं में स्थित खाता संख्या 324 आराजी नंबर 713/173, 715/174 कुल किता 02 रकबा 1.3365 हैक्टेयर भुमि** की बशामालात पड़ोसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता हैं एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100/– रूपये राजकोश में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियॉं को लिखा जावे।

प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हों।

आदेश सुनाया गया।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियॉं जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड़ अधिकारी
बिजौलियॉं

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :- 200/25

तारीख दायर 26/11/25

प्रति :-
तहसीलदार
बिजौलियॉ

विषय :- प्रकरण संख्या ....200/25........ प्रत्थरगढी बाबत्।

- कल्याण पुत्र रामा जाति मेघवाल उम्र वयस्क निवासी उन्द्रो का खेड़ा तहसील बिजौलियॉ जिला भीलवाड़ा (राज0)
- बदाम देवी पत्नि कल्याण जाति मेघवाल उम्र वयस्क निवासी उन्द्रो का खेड़ा तहसील बिजौलियॉ जिला भीलवाड़ा (राज0)

--प्रार्थीगण

बनाम

- देवी पुत्र रामा जाति मेघवाल उम्र वयस्क निवासी उन्द्रो का खेड़ा तहसील बिजौलियॉ जिला भीलवाड़ा (राज0)
- भंवरी पत्नि गणेश जाति मेघवाल उम्र वयस्क निवासी उन्द्रो का खेड़ा तहसील बिजौलियॉ जिला भीलवाड़ा (राज0)
- गोपाल पुत्र जयराम जाति मेघवाल उम्र वयस्क निवासी उन्द्रो का खेड़ा तहसील बिजौलियॉ जिला भीलवाड़ा (राज0)
- छीतर पुत्र भुवाना जाति मेघवाल उम्र वयस्क निवासी उन्द्रो का खेड़ा तहसील बिजौलियॉ जिला भीलवाड़ा (राज0)

--विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है कि **मौजा ग्राम उन्द्रो का खेड़ा पटवार क्षैत्र माल का खेड़ा भु–अभिलेख निरिक्षक क्षैत्र बिजौलियॉ कलां तहसील बिजौलियॉ में स्थित खाता संख्या 324 आराजी नंबर 713/173, 715/174 कुल किता 02 रकबा 1.3365 हैक्टेयर भुमि** की शामलात पड़ोसीयान के पत्थरगढी की जावें। मौके पर पत्थरगढी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढी कब्जा नही हटाया जावे तथा सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक **बिजौलियॉ कलां** को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस नियमानुसार वक्त मोके पर प्रार्थीया अदा करेंगा। पत्थरगढी करने से पुर्व पडोसी एवं विपक्षीगणो को सुचित करते हुए पत्थरगढी करें।

पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन मे आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।

उपखण्ड़ अधिकारी
बिजौलियॉ